

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 13730/2025

1. Vikas Meena S/o Omprakash, Aged About 21 Years, R/o Tivi Ki Dhanii, Tan Shyampura, Police Station Virat Nagar, District Kotputli-Behror (Raj.)
(At Present Confined In Sub Jail At Kotputli, District Kotputli-Behror, Rajasthan)
2. Rakesh S/o Khayliram, Aged About 26 Years, R/o Dwarikapura, Police Station Pragpura, District Kotputli-Behror (Raj.)
(At Present Confined In Sub Jail At Kotputli, District Kotputli-Behror, Rajasthan).

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Sumer Singh Ola, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

10/11/2025

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण **विकास एवं राकेश** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना—विराट नगर, जिला—कोटपूतली, बहरोड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—141/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(6) एवं 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की प्रथम जमानत याचिका इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2025 द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत पुनः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ अस्वीकार की गई थी, तदुपरांत प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के विरुद्ध संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष

जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जो कि आदेश दिनांक 10.10.2025 को अस्वीकार कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के संदर्भ में इस प्रकार के कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जिसमें प्रार्थीगण-अभियुक्तगण ने अनाधिकृत रूप से रात्रि को गृह प्रवेशन करने के उपरांत परिवादी के घर में लूट कारित की हो। पुलिस द्वारा अनुसंधान के प्रक्रम पर किसी प्रकार की कोई पहचान कार्यवाही निष्पादित नहीं की गई है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की किसी अपराध में संलिप्तता होने के संदर्भ में कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण दिनांक 17.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अन्य सह-अभियुक्त सुरेन्द्र की जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार कर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के द्वितीय जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये उसे अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 309(6) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण पूर्व में किसी अपराध में संलिप्त नहीं पाये गये है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में अन्य सह-अभियुक्त सुरेन्द्र की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण के उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं मामले के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

है। अतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का यह द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

परिणामतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण **1. विकास मीणा पुत्र ओमप्रकाश एवं 2. राकेश पुत्र ख्यालीराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **पचास हजार रुपये** का बन्ध—पत्र तथा **पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(PRAVEER BHATNAGAR),J